International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 88-89

भूटान की सामरिक सुदृढ़ता में भारत का योगदान

Rashmi Meena

Department Of Political Science, University Of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

हिमालय क्षेत्र में स्थित लघु राज्य भूटान की विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थिति के कारण नेपाल के समान ही भारत की उत्तरी रक्षा पंक्ति का एक अविभाज्य अंग है। सामरिक दृष्टि से भूटान के इस महत्व के कारण ही भारत में अंग्रेज शासको ने न केवल सिक्किम और नेपाल अपितु भूटान को भी एक भारत परक मध्यवर्ती राज्य के रूप में परिवर्तित करने का भरपूर प्रयास किया था चीनी आक्रमण से अपने साम्राज्य की उत्तरी सीमा को निरापद बनाने के लिये भारत में ब्रिटिश शासन सन् 1910 में भूटान के बाह्य मामले का उत्तर दायित्व ग्रहण कर सभी चीनी दावे को अमान्य कर देने में सफल हुआ किन्तु फिर भी भूटान वासियों के संशयालु स्वभाव के कारण उत्तरी **रक्षा पंक्ति** में भूटान एक कमजोर कड़ी ही बना रहा। स्वभावतः स्वतंत्र भारत सरकार के विनियोजकों के समक्ष उत्तरी सीमा की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में मुँह बायें खड़ी रही। सन् 1949 की भारत भूटान संधि ने इस समस्या के समाधान में एक अगली कड़ी का कार्य किया जबकि भूटान अपने बाह्य मामलें में भारत द्वारा मार्ग निर्देशित होने के लिए सहमत हुआ और प्रकारान्तर से उसके संचार व प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो गई। स्पष्ट है हिमालय क्षेत्र में अपनी सामरिक सुदृढ़ता और सुरक्षा के स्वार्थो, जिसमें भूटान की सुरक्षा अन्तर्निहित थी, से प्रेरित होकर भारत ने भूटान के साथ सन् 1949 में संधि संपादित की।

हिमालय क्षेत्र के सभी राज्यों में बौद्ध जनसमुदाय का पवित्र धर्मस्थल तिब्बत का चीनी विस्तारवादी बुभुक्षा का शिकार हो जाने के बाद दुनिया का सर्वाधिक स्वीकृत अतिविशाल हिमालय का घेरा भारत की उत्तरी सुरक्षा का प्रभावकारी और विश्वसनीय प्रतिरोधक नहीं रह गया। साम्यवादी दर्शन के प्रभाव में तिब्बत की और जाने वाले दर्रा–मार्गो द्वारा इन राज्यों में चीनी घुसपैठ की सुनिश्चित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। भूटान की उत्तरी सीमा में संलग्न तिब्बत की चुम्बी घाटी मात्र 18 मील दूर है। यदि यहाँ से 18 मील दक्षिण तक चीन की सेना दखल कर ले, तो न केवल भूटान, अपितु पश्चिमी बंगाल की उत्तरी पट्टी, असम और नेफा भी भारतीय क्षेत्र की मुख्य भूमि से पूर्णतः कट कर अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं नेफा के कमेंग–डिवीजन का पश्चिमी भाग साम्यवादी नियंत्रण में चले जाने पर भूटान की पूर्वी सीमा न केवल असुरक्षित हो जाएगी, अपितु पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से साम्यवादी सेना सहजतापूर्वक भूटान पर आक्रमण कर सकती है। भूटान की यह भू–राजनैतिक स्थिति ने केवल भूटान अपितु भारत के लिए भी असुरक्षा की समस्या उत्पन्न करती है। सन् 1962 में भारतीय क्षेत्र पर चीनी आक्रमण के दौरान चीनी सेनाओं द्वारा भूटान क्षेत्र का भरपूर उपयोग किये जाने के बाद इस आशंका ने वास्वतिक रूप धारण कर लिया जिसने निश्यच ही सामरिक दृष्टि से भारत के लिए भूटान के महत्व की जानकारी भी दी।

भारत के तत्कालीन उप–प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने तिब्बत में चीनी कार्यवाही से भारत की उत्तरी सुरक्षा हेतु उत्पन्न खतरे का विश्लेषण करते हुए नेहरू को लिखा कि ''अंशतः विचारधारा का प्रदर्शन और अंशतः अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए चीन तथा उसका प्रेरक स्त्रोत सोवियत संघ इन कमजोर स्थलों (भारत के उत्तर नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत) का शोषण करने से बाज नहीं आयेंगें। अतः प्रबुद्ध दृढ़ता, शक्ति और स्पष्ट नीति की रूपरेखा के बल पर ही इन कठिनाईयों से छुटकारा मिल सकता है।'' इस प्रकार भारत सरकार को देश की उत्तरी सुरक्षा की चिन्ता हुई थी, जिसकी अभिव्यक्ति दिसम्बर 1950 में संसद में प्रधानमंत्री नेहरू ने करते हुए कहा ''चीन और तिब्बत के परिणामों से निश्चय ही अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति हम चिन्तित हो गए है।

भूटान के प्रति विस्तारवादी चीन का मन्तव्य स्पष्ट होने लगा था। तिब्बत जाने वाले भूटान के व्यापारियों को साम्यवादी दर्शन और भारत विरोधी प्रचार का एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया था। तिब्बत और भूटान के निवासियों के बीच जातीय समानता का पाठ पढ़ाकर उसका शोषण, 8 मील तिब्बती क्षेत्र से होकर गुजरने और भारत–भूटान को जोडने वाले पुनाखा मार्ग सहित अन्य मार्गों को अवरूद्ध करके चीनी शासन ने आर्थिक, कूटनीतिक और सैनिक दबावों का सिलसिला जारी कर भूटान नरेश के पास प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी वहन करने तक का प्रस्ताव भेजा। अपनी सुरक्षा हेतु भारत पर निर्भर भूटान चिन्तित हो गया और सितम्बर 1959 में भूटान की सुरक्षा से संबंधित प्रतिरक्षात्मक पहलूओं पर नई दिल्ली में बातचीत की। फलतः भूटान के सम्पूर्ण तासीगंग और उत्तर पश्चिम भूटान के एक बड़े भाग पर जब चीनी शासन ने दावा पेश किया तो भारत सरकार ने एक कड़ा प्रतिरोध पत्र भेजकर भूटान और चीनी के मध्य उत्पन्न होने वाले सीमा–विवाद की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। राज्यसभा में उत्पन्न प्रश्नकाल के दौरान 25 अगस्त 1959 को नेहरू ने कहा कि ''सिक्किम और भूटान की प्रतिरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है'' सन् 1959 में चीनी के विरूद्ध तिब्बतवासियों के आन्दोलन ने भूटान को सर्तक करके भारत के साथ आर्थिक, बाह्य और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की ओर प्रेरित किया। भूटानवासियों की चिन्ताओं को दूर करते हुए फरवरी 1961 में नहेरू ने संसद में कहा ''भूटान की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर भूटान नरेश जिम्मे दोरजी वाँग्चुक और नेहरू एक मत हो गये।

सन् 1952 में जिम्में दोरजी वाँग्चुक के राज्याभिषेक होने के बाद भूटान में नियमित सैनिक संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम निर्णय लिया गया। इससे पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर भूटान सरकार ब्रह्मपुत्र घाटी के बीहड़ पर्वत क्षेत्र में स्थित असम रायफल्स यूनिट में, जो भारतीय सेना का एक अर्द्धसैनिक संगठन है, भूटानी सेना में भर्ती होने वाले युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा करती थी। किन्तु अब भी सेना

को संगठित करने से संबंधित कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बना। असम रायफल्स यूनिट में प्रशिक्षित तीन भूटानी युवकों को सर्वप्रथम 1954 में देहरादून स्थित भारतीय सैनिक अकादमी में भेजा गया जिन्होंने 18 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सन् 1956 में भूटान की सेना में कमीशन प्राप्त किया था। भूटान की सुरक्षा हेतु ठोस प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय सेना को भूटान की सीमा तक पहुँचाने का तात्कालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया।

भूटान की प्रतिरक्षा व्यवस्था को ठोस रूप देने के लिए नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1961 में एक उच्चस्तरीय बैठक दिल्ली में आयोजन किया गया। इस बैठक में भूटान नरेश, प्रतिरक्षा मंत्री वी. के. कृष्ण मेनन और भारत की तीनों सेनाओं के प्रधान सम्मिलित हुए। इस बैठक द्वारा तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

(क) संकट के समय भारत और भूटान की सेनाओं के मध्य तालमेल बैठाना और भूटान के किसी संकेत का जवाबी संदेश भेजने के लिए भूटान सीमा की दक्षिणी सीमा पर तैनात भारत प्रतिरक्षा सैनिकों की संस्था में वृद्धि करना।

(ख) भूटान पर संभावित आक्रमण के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही संचालित करने के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर सुलभ कराना।

(ग) भूटान पर संभावित हवाई हमलें के विरूद्ध भारतीय वायु सेना को संचालित करने के लिए उपयुक्त ठिकानों का गहन अध्ययन करना।

भूटान सरकार के आमंत्रण पर भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी जनरल अरोड़ा ने भूटान की प्रतिरक्षा जरूरतों की समीक्षा करने के लिए मई 1961 में भूटान की भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक रूप से सर्वेक्षण करने का कार्य किया। ''सर्वेक्षण रिपोर्ट'' की सिफारिश के आधार पर बाह्य और आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भूटान सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

(क) एक सशक्त राष्ट्रीय सेना का संगठन स्थापित कर उसके जिम्मे सीमा सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना तथा (ख) पुलिस और सेना की शक्ति में चुस्ती ले आने के लिए अनिवार्य सैन्य भर्ती की व्यवस्था जिसमें 18 से 50 वर्ष उम्र तक के भूटानी नागरिकों को सम्मिलित करने की योजना बनाई गई।

सन् 1961 में सर्वप्रथम भारतीय सैनिक विशेषज्ञों की देख–रेख और सहयोग से भूटान के थिम्फू और हा दो नगरों में सैनिक अकादमी की स्थापना की गई। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यों का संपादन किया जाता है। और भारतीय सैनिक सलाहकार प्रशिक्षक दल जिसे ''इम्त्रात'' कहा जाता है। इसके साथ–साथ भारतीय पुलिस अधिकारियों की देख–रेख भूटान के मूल निवासियों की एक नागरिक सेना गठित करने के लिए पृथक रूप से ''नागरिक स्वेच्छा संगठन की स्थापना की गई। स्वैच्छिक नियोजन की इस ठोस परम्परा की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि इसमें प्रशिक्षित युवकों को तिब्बत की ओर से साम्यवादी एजेण्टों की घुसपैठ को सीमा पर सतत् चौकस गश्त लगवा कर उन्हें प्रवेश से रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 800 मील लम्बे पाँच राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण कराने में भारत सरकार ने भूटान को हर सहयोग प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप भूटानवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने के साथ ही भूटान को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई।

वस्तुतः भूटान की प्रतिरक्षा में दोनों देशों की सुरक्षा अर्न्तनिहित है। दोनों देश एक–दूसरे के प्रति अत्यंत सूझ–बूझ और समझदारी भी रखते है। भूटान की सुरक्षा, स्वतंत्रता और प्रतिरक्षा में भारत के सहयोग की सराहना करते हुए भूतपूर्व भूटान नरेश जिग्मे दोरजी वॉंग्चुक ने 9 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया तथा कहा कि भारतीय सहयोग से एवं भारतीय प्रतिरक्षा–व्यवस्था से भूटान सरकार पूर्ण संतुष्ट है।

संदर्भ सूचीः

1. पी.सी. चक्रवर्ती, द इवोल्युशन ऑव इण्डियाज नॉदर्न वॉडरर्स (दिल्ली, 1971 पृष्ठ 1971)
2. राम मनोहर लोहिया, 'इण्डिया चाइना एण्ड नादर्न फ्रंटियर्स, हैदराबाद, 1963 पृष्ठ 3 एवं 109
3. 20 अगस्त 1972 को भूटान के नये नरेश जिग्मे सिंह वॉंग्चुक ने पत्रकारों से थिम्फू में बातचीत करते हुए कहा कि ''अपनी सेना विस्तार करने की हमारी योजना है वर्तमान समय में सैनिक, हथियार और साजों सामान हम भारत से प्राप्त कर रहे है। पैट्रियाट (नई दिल्ली), 21 अगस्त 1972''
4. राम गोपाल, इण्डिया–चाइना–तिब्बत ट्राइंगल (दिल्ली 1996) पृष्ठ 130
5. बी.एस.मलिक, माई इयर्स विद नेहरूः द चाइनीज विद्यायल (बम्बई 1971) पृष्ठ 105
6. रूप नारायण झा, भारत–भूटान संबंध : 1947–1997